

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: 485

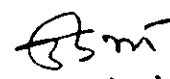
दिनांक: 29/6/26

-कार्यालय आदेश-

मैं, अनुभा सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना No. 14/P.I./2025 Date 09.07.2025 की अनुपालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुए माह जुलाई, 2026 में आने वाले राजकीय/राजपत्रित अवकाशों हेतु झुंझुनू न्यायक्षेत्र में स्थित विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी प्रकरणों में रिमाण्ड, जमानत व मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) एवं अन्य आवश्यक कार्य की सुनवाई एवं कार्यवाही के लिए व प्रोटोकॉल ड्यूटी हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करती हूँ जो अपने न्यायालय में तय समय में उपस्थित रहकर तथा तय समय के पश्चात अपने आवास पर रहकर उक्त कार्य करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे:-

क्र. सं	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन न्यायालय	मोबाईल नम्बर
01.	05.07.2026	श्रीमती पूजा सिंह, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनू	7413990864
02.	11.07.2026	सुश्री पूजा मीना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	8949476817
03.	12.07.2026	सुश्री पूजा मीना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	8949476817
04.	19.07.2026	श्री चन्द्र शेखर पारीक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	8005936363
05.	25.07.2026	श्रीमती जया सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	7073610728
06.	26.07.2026	श्रीमती जया सैनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	7073610728

- सुविधा की दृष्टि से उक्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अधिकृत कार्य हेतु न्यायालय समय पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक न्यायालय परिसर में स्वयं के न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजकीय/राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात से राजकीय/राजपत्रित अवकाश के आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य एवं राज्य के बाहर से झुंझुनू पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के प्रवेश पर उनके आगमन, प्रवास एवं रहवास के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
- राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त उक्त ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के


29/6/26

कार्यालय समय प्रारम्भ होने पर उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. रिमाण्ड न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान अभियुक्त को न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के पश्चात अभियुक्त को अधिकारी के आवास पर पेश किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से निवास पर पेश करते समय अभियुक्त को सीधे निवास में प्रवेश नहीं करवाकर बाहर रखा जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. न्यायिक अधिकारी अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 29/6/26
(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: 486-495

दिनांक: 29/6/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीगान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनू
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), झुंझुनू
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनू
6. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत
7. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस शाखा, झुंझुनू
8. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनू
9. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनू समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

दिनांक 29/6/26
(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनू (राज.)